उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या–28/वि0अनु0–5/स्टाम्प/2001
देहरादून : दिनांक 10 अक्टूबर 2001

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर तथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तरांचल सरकारी अधिसूचना संख्या– **<u>एस0आर0–2365/ 11–96–500(12)–89 दिनांक 29 अगस्त, 1996</u>** में उत्तरांचल राज्य के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

<u>संशोधन</u>

उपर्युक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में शब्द और अंक 45,000/– रूपये (पैतालीस हजार रूपये) के स्थान पर शब्द और अंक 1,00,000/– रूपये (एक लाख रूपये) रख दिये जाएं।

(इन्दु कुमार पाण्डे)
सचिव।

<u>संख्या–28(1)/विअनु–5/स्टाम्प/2001 तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. आयुक्त कर/महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठा भवन, एर्थाहिल रोड़, इलाहाबाद।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना की 100–200 प्रतियॉ दिनांक 10.10.2001 के असाधारण गजट के भाग–4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उसकी प्रतियॉ वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय विधायी अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।